खाटला पूरा मंदिर घाट पर छठ पूजा में महापौर मल्टी राय ने भाग लिया, शीतल दास की बगिया में भोजपुरी एकता मंच द्वारा छठ पूजा में भगवान दास सबनानी पहुंचे।

नुक्कड़ वाली माता मंदिर में विराजेंगे हनुमान लला

भोपाल (हिनप्र)। सैनिक कॉलोनी नुक्कड़ वाली माता मंदिर प्रांगण में हनुमान लाल विराजेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 21 नगरों से आए कथा व्यास, संत-महात्माओं और विशिष्ठजनों की मौजूदगी में भूमिपूजन हुआ।

मंदिर के पुजारी रवि पटेरिया ने कहा कि हम सब रामलला के निमित्त का कार्य करने जा रहे हैं। जल्द ही हनुमान लला की मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा की जाएगी। भूमिपूजन कार्यक्रम में गुफा मंदिर के महंत विजयदास, चैतन्य स्वरूप, उज्जैन, टैंपल ऑफ संबोधि के संतलाल साईं, विश्व हिंदू परिषद के विशाल पुरोहित, आचार्य अनिल रूद्र महाराज कथा व्यास राम किशोर, कथा व्यास आचार्य कृष्णा पाण्डेय, , कथा व्यास मनोज शास्त्री, पंडित शिवराम भार्गव, कथा व्यास निधि किशोरी, पंडित राजीव लोचन, पंडित गोविंद राम गर्ग, पंडित नीलमणि दुबे, पंडित विजय वाजपेयी, पूर्व जिला पंचायत के सदस्य विष्णु विश्वकर्मा शामिल हुए।

कलचुरि सेना ने 5001 दीपों से रोशन किया सहस्त्रबाहु सेतू

भोपाल (काप्र)। कलचुरि सेना परिवार द्वारा भगवान सहस्त्रबाहु के जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर गुरुवार को सहस्त्रबाहु ब्रिज, जेके अस्पताल गेट के सामने (एलएनसीटी विश्वविद्यालय) कोलार पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया।

कलचुरि सेना के प्रवक्ता राजेश राय ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कलचुरि सेना परिवार के सदस्य 5001 दीप प्रज्वलित कर श्री सहस्त्रबाहु ब्रिज को रोशन किया। कलचुरि सेना के अध्यक्ष कौशल राय ने बताया कि समारोह की शुरुआत भगवान श्री सहस्त्रबाहु जी के विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ हुई तत्पश्चात 5001 दीप प्रज्वलन किये गए। साथ ही दीपों से जय सहस्त्रबाहु लिखी आकर्षित आकृति बनाई गई। अखिल भारतवर्षीय हैहय कलचुरि महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयनारायण चौकसे ने कहा कि भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन के रास्ते पर चलने के लिए हमें अपने अंदर त्याग और समर्पण के साथ सामाजिक निष्ठा की भावना रखनी चाहिए। वही महापौर मालती राय ने कहा कि शिक्षा और रोजगार से वंचित कलचुरि समाज के लोगो को शिक्षा और रोजगार मुहैया कराकर सामाजिक व आर्थिक मजबूती प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाने की आवश्यकता है। उसके बाद भजन संध्या में मन को छू लेने वाले भक्ति पूर्ण भजनो से कलाकारों ने माहौल भक्तिमय कर दिया। समारोह के अंत में 101 घी के दिये प्रज्वलित कर भगवान श्री सहस्त्रबाहु की महाआरती कर सतरंगी आतिशबाजी चलाकर जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कलचुरि समाज के सामाजिक बंधुओं ने भगवान श्री सहस्त्रबाहु के जयकारे लगाकर प्रदेश के लोगो के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करने की कामना की।

महापौर श्रीमती मालती राय ने इस मौके पर युवाओं को नशे से दूर रहने नशे को ना दुजीवन को हाँका संकल्प भी दिलाया। आयोजको ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि उन्हें नशे से दूर रहना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी इस धीमे जहर से दूर रह सके, नशा मनुष्य की सामाजिक निष्ठा एवं धार्मिक प्रवृत्ति को नष्ट करता है नशे को खुद की इच्छा शक्ति और जागरुकता से कुछ हद तक कम किया जा सकता है इसलिए कलचुरि सेना इसे अभियान बनाकर आगे होने वाले समाजिक कार्यक्रमों में नशे के विरुद्ध अभियान छेड़ा है।

हाथियों की मृत्यु में कीटनाशकों की पुष्टि नहीं

भोपाल। राज्य फॉरेंसिक प्रयोगशाला सागर से 7 नवम्बर को मृत हाथियों के विसरा नमूनों की विषाक्तता रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उल्लेखनीय है कि उमरिया जिले के बाँधवगढ़ टाइगर रिजर्व में खितौली और पतौर रेंज में हाथियों की मृत्यु की घटना 29 एवं 30 अक्टूबर को हुई थी। सागर लैब रिपोर्ट में किसी भी भारी धातु एवं कीटनाशक नकारात्मक पाये गये हैं। स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एण्ड हेल्थ ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो हर्पीज वायरस के लिये नकारात्मक है और हाथियों की मृत्यु की वजह विषाक्तता बताई है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य-जीव एल. कृष्णमूर्ति ने बताया कि केन्द्र एवं राज्य शासन की तीन प्रतिष्ठित प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।

वार्ड चार में छह लाख से बनेंगी दो सड़कें, भूमिपूजन हुआ

भोपाल (हिनप्र)। वार्ड चार में दो सड़कों के निर्माण का लिए गुरुवार को भूमिपूजन किया गया। सड़कों का निर्माण छह लाख रूपये की लागत से हो रहा है। वार्ड पार्षद राजेश हिंगोरानी एवं कर्नल नारायण पारवानी व अन्य विशिष्ठजनों ने भूमिपूजन किया। इस अवसर पर कर्नल पारवानी ने कहा कि विश्वास है कि वार्ड पार्षद हिंगोरानी अपने कार्यकाल में क्षेत्र के विकास और समस्याओं को लेकर उम्मीदों को पूरा करेंगे। हिंगोरानी ने कहा कि सीआरपी क्षेत्र में लगातार विकास कार्य करवा रहे हैं। स्टेशन रोड पर सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण शुरू हो गया है, जो व्यापारियों एवं यात्रियों के लिए सुविधा होगी। छह लाख की लागत से समाधि वाली गली एवं मोहनलाल धनाराम दरबार वाली गली के निर्माण का भूमिपूजन किया गया है, जल्द ही दो और ग़लियों का निर्माण शुरू होगा।

विशिष्ठजनों ने भूमिपूजन किया।

पेज एक से जारी खबरों के शेष...

विधानसभा में विशेष...

सकती है। भाजपा ऐसा कैसे होने दे सकती है? भाजपा इस तरह के कदम या मांग को स्वीकार नहीं करेगी? हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। हम तब तक नहीं रुकेंगे, जब तक इस तरह के नाटक और राजनीतिक धोखाधड़ी बंद नहीं हो जाती। चेनानी से भाजपा विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने पीडीपी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और अन्य द्वारा पेश किए गए नए प्रस्ताव का जिक्र करते हुए कहा कि यह लोगों को भावनात्मक ब्लैकमेल है। उन्होंने कहा कि हम जम्मू-कश्मीर के लोगों को मूर्ख नहीं बनने देंगे। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और कश्मीर केंद्रित पार्टियों को लोगों को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने की इजाजत नहीं देंगे। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने भी अध्यक्ष पर खुर्शीद को बैनर लेकर सदन के बीचोंबीच आने की अनुमति देने का आरोप लगाया। सुनील शर्मा ने कहा कि एक विधायक को बैनर लेकर आने की अनुमति दी गई। क्या इस सदन में ऐसी कोई मिसाल है? स्पीकर और विधानसभा स्टाफ ने उन्हें इसकी अनुमति दी। उन्होंने (स्पीकर ने) सत्ता पक्ष के माइक्रोफोन चालू कर दिए, ताकि यह दिखाया जा सके कि वह नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पीकर हैं, सदन के नहीं। सदन को मछली बाजार में बदल दिया गया। जब उनसे पूछा गया कि क्या भाजपा सदस्य सदन की मेजों पर खड़े हो गए थे, तो विपक्ष के नेता ने कहा कि जब विपक्ष को बोलने ही नहीं दिया जाएगा तो वे क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता खड़े थे और उनका माइक्रोफोन बंद था। हमारे विधायकों को बाहर निकाल दिया गया, तो हमारे पास क्या विकल्प है? सुनील शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को वह अनुच्छेद दिखाने की चुनौती दी जानी चाहिए जिसके तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष दर्जे की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद में कहा गया है कि यह तब तक के लिए अस्थायी प्रावधान है जब तक कि भारतीय संविधान जम्मू-कश्मीर में पूरी तरह लागू नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि विशेष दर्जा नाम की कोई चीज नहीं है। विशेष दर्जा (एनसी संस्थापक) शेख अब्दुल्ला का संविधान है जो (एनसी अध्यक्ष) फारूक अब्दुल्ला के गुपकर सदन में है जिसमें यह लिखा है कि कश्मीरी पंडितों को यहां से बाहर निकाल दिया जाए। विपक्ष के नेता ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ, वह अब इतिहास है। अब विशेष दर्जा दोहराया (बहाल) नहीं जा सकता।

आतंकवाद के खिलाफ...

करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ हम नहीं लड़ सकते। अब आतंकवाद का सामना जो हमें करना है वह समझ कर चलिए, उसे सीमाहीन और अदृश्य तरीके से आतंकवादी हमले और उनका षड्यंत्र हमारे खिलाफ खड़ा है। हमें टेक्नोलॉजी से हमारे युवा अफसर को लैस करना पड़ेगा। प्रौद्योगिकी को उनकी ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा बनाना होगा। कई सारे राज्यों ने बनाया है। मैं सभी राज्यों को कहना भी चाहता हूं अगर आप को इसमें मदद की जरूरत है तो हैदराबाद की अकादमी भी आपको मदद कर सकती है। उन्होंने कहा कि जहां तक आतंकवाद से निपटने का सवाल है राज्यों की अपनी सीमाएं हैं, राज्यों की भौगोलिक सीमाएं भी है, संवैधानिक सीमाएं भी है और आतंकवाद और आतंकवादियों की कोई सीमा नहीं है। यह अंतर राज्य षड्यंत्र करते हैं, अंतरराष्ट्रीय भी षड्यंत्र करते हैं इसलिए इसके खिलाफ हमें केन्द्रीय स्तर पर सटीक तरीके से अपनी रणनीति बनानी है।

जागृत भारत दुस्साहस...

देते हैं। मैं इंडी अलायंस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि भारत की संसद और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय सबको मान्य है। उस निर्णय का अपमान और उसकी अवहेलना करने का अधिकार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को किसने दिया है? उन्होंने कहा कि मैं इंडी अलायंस के सभी नेताओं से पूछना चाहता हूं कि धारा 370 हटने के बाद आदिवासी समाज को जो अधिकार मिले, क्या कांग्रेस और इंडी अलायंस आदिवासी समाज के उन अधिकारों के खिलाफ हैं? भाजपा नेता ने आगे सवाल किया कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में दलित और पिछड़े समाज को जो अधिकार भारत के संविधान के तहत मिले, क्या कांग्रेस नित इंडी अलायंस उन अधिकारों के खिलाफ है? उन्होंने कहा कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में नागरिकों की मृत्यु में 80प्रतिशत की गिरावट हुई। ये हर हिंदुस्तानी को ज्ञात है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 70प्रतिशत की कमी आई। लोकतांत्रिक ढांचे के माध्यम से एक चुनी हुई सरकार विकास के मुद्दों पर काम करने के बजाए, भारत को जोड़ने के बजाए, भारत को तोड़ने की कोशिश कर रही है।

ट्रंप प्रशासन के साथ...

हिस्सा है और हमारे कई पेशेवर अमेरिका में काम करते हैं, कई भारतीय छात्र वहां पढ़ते हैं और रक्षा प्रौद्योगिकी में अमेरिका और भारत के बीच बड़ी निवेश साझीदारी है। उन्होंने कहा कि हाल में भारत एवं अमेरिका के बीच विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के संबंध में सात मुद्दों को सुलझाया गया है। हमारे संबंध और मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच बाकी जो भी मुद्दे हैं, हम इन सभी मुद्दों पर उनके साथ अच्छी बातचीत करना चाहेंगे। उत्प्रवासन के सवाल पर प्रवक्ता ने कहा, हम चाहते हैं कि हमारे लोग कानूनी रूप से अमेरिका जाएं। भारत को विश्व भर में कौशल एवं प्रवीणता की राजधानी के रूप में देखा जाता है। हमारा (भारत अमेरिका) गठजोड़ कारोबार, नवान्वेषण एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में है। हम कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे लोग अवैध रूप से या बिना पूर्ण दस्तावेज के अमेरिका जायें। इस बारे में हमारी अमेरिकी अधिकारियों से सतत बातचीत हो रही है। हाल ही में अवैध रूप से अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को स्वदेश भेजा गया है।

म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
कार्यालय उपमहाप्रबंधक (सं/सं) संभाग मंडीदीप (औ.वि.के)
नवीन औद्योगिक क्षेत्र-02, ल्यूपिन इंडस्ट्रीज के समीप मंडीदीप
क्र./उ.म.प्र./औ.वि.के/2024-25/1154 मंडीदीप, दिनांक : 06.11.2024

आवश्यक सूचना

श्री संजेश कुमार, पद लाइन हेल्पर (संविदा) पदस्थापना आई.जी.सी. संभाग मंडीदीप के अधीन कार्यरत होकर दिनांक 04.08.2024 से अपने कार्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है। उन्हें अपने कार्य पर उपस्थित होने हेतु कार्यलयीन पत्र क्रमांक 938-39 दिनांक 25.09.2024 से उनके निवास स्थान के पते ग्राम हर्रई, दिवटिया तहसील गौहरगंज जिला रायसेन पिन कोड- 464993 पर सूचित किये जाने के उपरांत भी अपने कार्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियमों के विरुद्ध है।

अतः इस सूचना पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है, कि आप अपने कार्य पर इस सूचना पत्र प्राप्ति/प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में सप्रमाण उपस्थित होवें, अन्यथा की स्थिति में अनुबंध का उल्लघन करने के परिपेक्ष्य में संविदा अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जावेगा।

म.प्र. माध्यम/117273/2024 उपमहाप्रबंधक (संचा.संधा.)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार द्वारा श्री धर्मेन्द्र पुत्र श्री नारायण सिंह आयु-वयस्क, निवासी-ग्राम एवं पोस्ट सेमरा दांगी, दुपाड़िया दांगी, सीहोर म.प्र. 466001, (सहस्वीकारगण (1) श्रीमति सागर बाई पत्नि श्री धर्मेन्द्र आयु-वयस्क, निवासी-ग्राम एवं पोस्ट सेमरा दांगी, दुपाड़िया दांगी, सीहोर म.प्र. 466001, (2) श्रीमति मीना पत्नि श्री अरविन्द सिंह राजपूत पुत्री श्री धर्मेन्द्र आयु-वयस्क, निवासी-ग्राम मदाना, मदन, शाजापुर, म.प्र. 465227, (3) श्री अंकित मेवाड़ा पुत्र श्री धर्मेन्द्र आयु-वयस्क, निवासी-ग्राम एवं पोस्ट सेमरा दांगी, दुपाड़िया दांगी, सीहोर म.प्र. 466001 के निवासीगणों) से उनके स्वत्व और अधिपत्य की दो किता कृषि भूमि जिसका खसरा क्रमांक-98/1/1 रकबा 0.7190 हेक्ट. एवं खसरा क्रमांक-99/1/1 रकबा 0.8920 हेक्ट. कुल रकबा 1.611 हेक्टेयर, जो कि दुपाड़िया दांगी, तहसील श्यामपुर जिला सीहोर म.प्र. 466001 में स्थित है, को मेरे पक्षकार के द्वारा क्रय कि जा रही है। उक्त संपत्ति के संबंध में मेरे पक्षकार के द्वारा अपने पक्ष में विक्रय अनुबंध पत्र का निष्पादन कर लिया गया एवं उक्त संपत्ति का विक्रय विलेख के संबंध में पंजीयन का निष्पादन मेरे पक्षकार के द्वारा अपने पक्ष में करने जा रहे है। उपरोक्त संव्यवहार के संबंध में यदि किसी व्यक्ति, संस्था, बैंक, वित्तीय संस्था, शासकीय/अर्ध शासकीय प्राधिकारी आदि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो या उक्त संपत्तियां कहीं दान, बंधक, गिरवी, हस्तांतरण, विक्रय, अनुबंध इत्यादि हो तो वह व्यक्ति अथवा संस्था इस सूचना प्रकाशन के 07 दिन के अंदर मेरे कार्यालय में मय दस्तावेजी प्रमाणों के मेरे कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें उपरोक्त अवधि के पश्चात् मेरे पक्षकार उक्त संपत्ति का पंजीयन अपने पक्ष में निष्पादित करवा लेगा तथा उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्रस्तुत किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य न हो कर शून्य और प्रभावहीन होगी और मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नहीं होगी। अतः उक्त संपत्तियों के संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति/संस्था आदि के द्वारा किसी भी प्रकार का क्रय या विक्रय किया जाता है तो वह किसी भी प्रकार से मान्य नहीं समझा जावेगा। यदि इसके बाद भी यदि कोई व्यक्ति उक्त सभी विवादित संपत्तियों के संबंध में किसी भी प्रकार से क्रय या विक्रय या किसी भी प्रकार का लेन-देन करता है तो इसके लिये वह व्यक्ति/संस्था आदि स्वयं जिम्मेदार होंगे।

भवदीय-
कंचन सिंह एडवोकेट
एलबीएस परिसर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, भोपाल
मो.-9131771219, 8109915628

2442

नाम परिवर्तन सूचना

मेरे अवयस्क पुत्र के पूर्व में बने पासपोर्ट में उपनाम (Surname) की स्पेलिंग त्रुटिवश YASH RAJDEO S/O JAYA RAJDEO (MOTHER) & RAKESH RAJDEO (FATHER) अंकित हो गई है जबकि उपनाम की सही स्पेलिंग RAJDEV है अब मेरे पुत्र का नाम सही उपनाम सहित YASH RAJDEV S/O JAYA RAJDEV (MOTHER) & RAKESH RAJDEV (FATHER) निवासी 45-ए, तुलसीकुंज, ईदगाह हिल्स, भोपाल 462001 (मध्य प्रदेश) है अब मेरे पुत्र को इसी नाम से जाना व पहचाना जाए।

2441

कार्यालय थाना प्रभारी थाना शहजहानाबाद नगरीय पुलिस भोपाल

क्र/थाप्र/शाह.बाद/भो/डी :-मर्ग क्रं. 32/2024 दिनांक 06/11/2024

जाहिर सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि थाना शहजहानाबाद भोपाल के मर्ग क्रं. 32/24 मृतक कल्लू पिता अबदोल उम्र 45 साल निवासी विद्दी चोटाला के किराये के घर में भगत सिंह चौराहा राजेश किराना स्टोर के सामने संजयनगर थाना शाहजहानाबाद का दिनांक 24/05/24 के 18.00 बजे मृत पाया गया जिसका हुलिया कद करीबन 5 फीट 5 इंच रंग सावला बदन सामान्य चेहरा लम्बा सिर के बाल सफेद पीली टीशर्ट पहने लाल सफेद धारीदार टावेल पहने है जिसका आज दिनांक तक व परिजनों का पता नहीं चला जिसका आज दिनांक तक कोई पता नहीं चला अगर किसी भी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई जानकारी हो तो तत्काल सूचित करे। **थाना शाहजहानाबाद मो. नं. 947999057, जाचकर्ता प्र आर 2496 रामबकस के मो. नं 7587601784**

थाना प्रभारी
जी-18597/24 **थाना शाहजहानाबाद भोपाल (म.प्र.)**

कार्यालय थाना प्रभारी थाना तलैया जिला भोपाल

क्रमांक/थाप्र./ तलैया./गुम इंसान क्र-27/24 दिनांक 05.11.24

जाहिर सूचना

थाना तलैया के गुम इंसान क्र. 27/24 धारा मो. रिजवान पिता मो. अयाज उम्र 29 साल (2) नायमा पति मो. रिजवाव व बेटी नयरा 03 साल नि.म.न. 198 गली न. 02 जवाहर कालोनी थाना ऐशबाग भोपाल मो. 7974641102 की तलाश हेतु जाहिर सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रो मे किया जाना है। **गुमसुदा व्यक्ति का हुलिया**- पुरुष उम्र 29 वर्ष निवासी म.न. 198 गली न. 02 जवाहर कालोनी थाना ऐशबाग जिसका कद करीबन 5 फिट 5 इंच, रंग गोरा सिर के बाल काले है दाढी हल्की बड़ी हुई है। शरीर सामान्य है थाना प्रभारी तलैया के मो. 9479990560, 0755-2677364-24433230 एवं जांचकर्ता 7049155642 है तो तत्काल संपर्क करें।

थाना प्रभारी
जी-18558/24 **थाना तलैया भोपाल**

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-1, गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल

आम सूचना

हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, नेहरू नगर, भोपाल (म.प्र.)में स्थित भूखण्ड क्रमांक एल. आई. जी.-98 मण्डल द्वारा श्री अवध नारायण मालवीय आत्मज स्व. श्री बाबूलाल मालवीय के नाम से आवंटित है। उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख दिनांक 22/05/1981 को पंजीकृत किया गया है। श्री अवध नारायण मालवीय द्वारा उक्त सम्पत्ति का हस्तांतरण श्रीमती निर्मला सोनी पत्नी श्री बाबूलाल सोनी के पक्ष में किया गया है जिसका हस्तांतरण आदेश दिनांक 06/10/1989 को किया गया। श्रीमती निर्मला सोनी का स्वर्गवास दिनांक 27/03/2021 को हो गया है। आवेदक आवंटी के पति व पुत्र (1) बाबूलाल सोनी आत्मज श्री पन्नालाल सोनी (2) अविनाश सोनी आत्मज श्री बाबूलाल सोनी (बी. एल. सोनी) द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र एवं मण्डल का निर्धारित आवेदन पत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त सम्पत्ति अपने नामों से नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, उक्त दस्तावेजों के आधार पर उक्त सम्पत्ति के नामांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त सम्पत्ति के संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति /उत्तराधिकारी/संस्था/ वित्तीय संस्था को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

2439 **सम्पदा अधिकारी**
म.प्र. गृह नि. एवं अघो. वि. म. प्रक्षेत्र-1 भोपाल

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, सं. क्र.-1, जी.टी.बी. कॉम्पलेक्स, न्यू मार्केट, भोपाल म.प्र.

आम सूचना

विश्वकर्मा नगर, बैरसिया रोड, भोपाल में स्थित भवन क्र.- एल. आई.जी. 164 मंडल व्दारा श्रीमती रुबीना खान पत्नी श्री जफ़र अली खान के नाम से आवंटित है। उनके व्दारा आवेदन प्रस्तुत करते हुए उक्त संपत्ति श्री दिलीप कुमार पाण्डेय आत्मज श्री बिहारी लाल पाण्डेय को हस्तांतरण किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया है । उक्त संपत्ति के संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/ संस्था को इस में कोई आपत्ति हो तो विज्ञापित प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें । समयावधि समाप्त होने के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं मंडल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

2438 **सम्पदा अधिकारी**
म.प्र. गृह नि. एवं अघो. वि. म. स.क्र. भोपाल

न्यायालय तहसीलदार,नजूल संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) वृत्त भोपाल जिला भोपाल म.प्र.

रा.प्र.क्र.0177/अ-3/2024-25

सूचना पत्र

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका रूही खान पत्नी मो. अफजल खान, सादिया खान एवं जुबिया खान दोनों पुत्री मो. अफजल खान ने अपने स्वत्व, स्वामित्व की भूमि खसरा क्रं. 42/1/1 के अंश भाग रकबा 5508.24 वर्गफीट स्थित ग्राम कोहेफिजा भूमि की बटान कराने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है। वर्तमान में आवेदित भूमि संबंधित राजस्व अभिलेखों में आवेदिकागण के नाम बहैसियत भूमि स्वामी दर्ज है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त बटान के संबंध में किसी भी व्यक्ति संस्था या अन्य को कोई आपत्ति है तो विज्ञप्ति प्रकाशन से सात दिवस के भीतर स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष न्यायालय में प्रस्तुत करें, ततपश्चात् प्राप्त आपत्ति ग्राहय योग्य नहीं होगी। यह सूचना पत्र आज दिनांक 07/11/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी ।

2440 (सील) **तहसीलदार नजूल**
संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़)
वृत्त भोपाल

1 म.प्र. नौ सेना इकाई राकेको सिविल लाईन्स, प्रोफेसर कालोनी भोपाल - 02

दूरभाष: 0755-2661151 **ईमेल आईडी**-1mpnavalncc@gmail.com

क्रमांक 109/क्यू/एनसीसी/24-25 **भोपाल दिनांक अक्टूबर 2024**

नौसेनिक कैम्प हेतु ड्राय राशन उपलब्ध करने की निविदा सूचना

1. उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि 1 म.प्र. नौसेना इकाई एनसीसी, भोपाल द्वारा सीएटीसी कैम्प दिनांक 19 नवम्बर 2024 से 28 नवम्बर 2024 तक भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। जिसमें लगभग 550 एनसीसी कैडेट्स एवं एनसीसी अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित होगें। जिसके लिये प्रतिदिन एनसीसी कैडेट्स एवं एनसीसी अधिकारी/ कर्मचारी भोजन करेगें, जिसके लिये सूखे राशन की आवश्यकता है। जिसमें प्राधिकृत निविदाकर्ताओं को उक्त कैम्प परिसर में स्वयं ही पहुचाना होगा।
2. अतः सभी पंजीकृत राशन के थोक एवं फुटकर विक्रेताओं को यह सूचित किया जाता है कि खाने का सामान जैसे आटा, दाल, चावल, वनस्पति तेल इत्यादी के रेटस व क्वालिटी की जानकारी अपनी निविदा में भरकर इस कार्यालय में दिनांक 13 नवम्बर 2024 को 12 बजे तक इस कार्यालय में रखे टेंडर बाक्स में जमा करें।

कार्यालय का पता निम्नानुसार है:-
कमान अधिकारी
1 म.प्र. नौ सेना इकाई राकेको
सिविल लाईन्स, प्रोफेसर कालोनी भोपाल-462002
दूरभाष: 0755-2661151

निविदा जमा करने कि अंतिम तिथि व समय - **13 नवम्बर 2024 समय 1200 बजे तक**
निविदा खुलने कि तिथि व समय - **15 नवम्बर 2024 समय 0200 बजे तक**

कमान अधिकारी
Commanding Officer
1 म.प्र. नौ सेना ईकाई सकेकोर, भोपाल
जी-18551/24 1 M.P. Naval Unit NCC, Bhopal

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-1, गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल

आम सूचना

हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, करोंद, बैरसिया रोड, भोपाल में स्थित भूखण्ड क्रमांक-1364/ए मण्डल द्वारा श्री सुरेश चन्द्र जैन आत्मज श्री बसंती लाल जैन के नाम से हस्तांतरित है। उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख पंजीयन पंजीयक कार्यालय से दिनांक 30/01/1995 को एवं लीज नवीनीकरण दिनांक 29/12/2023 को पंजीकृत है। श्री सुरेश चन्द्र जैन आत्मज श्री बसंती लाल जैन द्वारा उक्त सम्पत्ति श्रीमती शहनाज बी पत्नी श्री अब्दुल रज्जाक को विक्रय विलेख के माध्यम से विक्रय दिया है। जिसका विक्रय विलेख का पंजीयन पंजीयक कार्यालय में दिनांक 21/02/2024 को निष्पादित करा दिया है। क्रेता/ विक्रेता द्वारा आवेदन, शपथ पत्र, संयुक्त शपथ पत्र, परिचय पत्र, विक्रय विलेख की छायाप्रति एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त सम्पत्ति श्रीमती शहनाज बी पत्नी श्री अब्दुल रज्जाक के नाम उक्त सम्पत्ति हस्तांतरण हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किये है। उक्त दस्तावेजों के आधार पर उक्त सम्पत्ति के हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। यदि उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/ उत्तराधिकारी/संस्था / वित्तीय संस्था इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

2437 **सम्पदा अधिकारी**
म.प्र. गृह नि. एवं अघो. वि. म. प्रक्षेत्र-1 भोपाल

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-1, गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल

आम सूचना

हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, माचना कॉलोनी, शिवाजी नगर, भोपाल में स्थित फ्लेट क्रमांक एल.आई.जी. / बी - 31 भू तल मण्डल द्वारा (1) श्रीमती शहनाज खान पत्नी श्री के. आर. खान (2) श्री खलीलुर रहमान खान आत्मज श्री अब्दुल रहमान खान के नाम से हस्तांतरित है। उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख पंजीयन कार्यालय से दिनांक 18/08/2005 को पंजीकृत है। (1) श्रीमती शहनाज खान पत्नी श्री के. आर. खान (2) श्री खलीलुर रहमान खान आत्मज श्री अब्दुल रहमान खान द्वारा उक्त सम्पत्ति सुश्री पूर्णिमा श्रीवास्तव पुत्री श्री नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव को विक्रय विलेख के माध्यम से विक्रय कर दिया है। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 23/04/2024 को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। क्रेता / विक्रेता द्वारा आवेदन, शपथ पत्र, संयुक्त शपथ पत्र विक्रय विलेख की छायाप्रति प्रस्तुत करते हुये उक्त सम्पत्ति सुश्री पूर्णिमा श्रीवास्तव पुत्री श्री नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव के पक्ष से हस्तांतरित करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजो के आधार पर उक्त सम्पत्ति के हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। यदि उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/ उत्तराधिकारी/संस्था / वित्तीय संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा ।

2436 **सम्पदा अधिकारी**
म.प्र. गृह नि. एवं अघो. वि. म. प्रक्षेत्र-1 भोपाल

कार्यालय सहायक संचालक उद्यान जिला-विदिशा (म.प्र.)

email :- horti.vidisha@mp.gov.in

क्रमांक/उद्यान/तक-2/नीलामी/2024-25/2816-17 **विज्ञप्ति** विदिशा,दिनाँक 04/11/2024

समस्त व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि विभाग के अंर्तगत जिले की शासकीय रोपणी में मौजूद फलबहार अमरूद आवला बेर वर्ष 2024-25 की नीलामी हेतु नीचे उल्लेखित विवरण में दर्शाये समय अनुसार सील बंद निविदायें निर्धारित नगद धरोहर राशि के साथ आमंत्रित की जावेगी। इच्छुक व्यापारियों से प्राप्त मुहरबंद निविदायें उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष विवरण में उल्लेखित स्थान पर खोली जावेगी। नीलामी की शर्ते एवं नियम तथा फल बाहर की जानकारी कार्यलयीन समय में अवकाश दिवस को छोड़कर जिला कार्यालय सहायक संचालक उद्यान पुराना कलेक्ट्रेट विदिशा या नीचे दर्शाये निम्नानुसार उद्यान में कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।

फलबहार अमरूद आवला बेर की स्थिति का विवरण

क्रं	उद्यान का नाम एवं नीलामी दिनांक	पूर्ण फलित पौधों की संख्या		अर्द्ध फलित	बिना फलित	कुल पौधों की संख्या	धरोहर राशि	समय
1	शासकीय संजय निकुंज भटौली, सिरोंज दिनांक 18.11.2024	आवला	04	01	11	16	2000/-	02.00 से 05.00 बजे तक
2	शासकीय उद्यान मूडरासागर, लटेरी दिनांक 18.11.2024	अमरूद	72	30	68	170	2000/-	10.00 से 01.00 बजे तक
		बेर	30	11	06	47	2000/-	10.00 से 01.00 बजे तक
3	शासकीय बेतवा उद्यान विदिशा दिनांक 20.11.2024	अमरूद	120	86	304	510	2000/-	
4	शासकीय संजय निकुंज नटेरन, दिनांक 19.11.2024	अमरूद	50	30	182	217	2000/-	02.00 से 05.00 बजे तक
5	शासकीय संजय निकुंज दहलवाडा, ग्यारसपुर दिनांक 21.11.2024	अमरूद	10	07	245	262	2000/-	10.00 से 01.00 बजे तक
		आवला	20	05	55	80	2000/-	

जी-18565/24 **सहायक संचालक**
उद्यान जिला-विदिशा (म.प्र.)